प्रारूप– 6

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, थत्यूड़ द्वारा प्रस्तावित जयद्वार–तियाडा–फलपट्टी मोटर मार्ग का गैरवानिकी कार्य किये जाने हेतु भूमि का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, थत्यूड के पत्रांक 789/21सी0 दिनांक 09.05.2018 व प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी के पत्रांक R.N 7704/12–1 के अनुपालन में दिनांक 24.05.2018 को वन विभाग, राजस्व विभाग तथा प्रस्ताव विभाग के निम्न अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया ।

1. श्री राजेन्द्र सिंह रावत, वन क्षेत्राधिकारी भद्रीगाड रेंज।
2. श्री आनन्द सिंह कण्डारी वन दरोगा भद्रीगाड रेंज।
3. श्री वख्तौरू वन बीट अधिकारी कोडी।
4. श्री महवीर सिंह चौहान राजस्व उपनिरक्षक खरसौन।
5. श्री अमर सिंह , अपर सहायक अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 थत्यूड़।
6. श्री बचन सिंह मल्याल अमीन अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 थत्यूड़।

लो0नि0वि0, थत्यूड द्वारा जयद्वार–तियाडा–फलपट्टी मोटर मार्ग लम्बाई 12.00 किमी0 चौड़ाई 9.00 मी0 प्रस्तावित की गई है जो मसूरी वन प्रभाग भद्रीगाड रेंज के अन्तर्गत कोडी क0 सं0, 9 ए0 तथा कोडी क0 सं0 9बी0 वनप्रभाग मसूरी आरक्षित वन भूमि सिविल भूमि एवं नाप भूमि में है।

क्रं0सं0	प्रस्तावित मोटर मार्ग में आने वाली भूमि का विवरण	प्रस्तावित कार्य	आरक्षित वन भूमि की लम्बाई चोड़ाई (मीटर में)		
			लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल है0 में
1	आरक्षित वन भूमि	मोटर मार्ग	1070	9.00	0.963
2	सिविल भूमि	मोटर मार्ग	9065	9.00	8.1585
3	नाप भूमि	मोटर मार्ग	1865	9.00	1.6785
		योग	**12.00**		**10.800**

अतएव हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित आरक्षित वन एवं सिविल वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है।

कसं0	भूमि का प्रकार,	क्षेत्रफल है0 मी0
1	आरक्षित वन भूमि	0.963
2	सिविल वन भूमि	8.158
3	**योग**	**9.121**

इस प्रकार प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु कुल आपेक्षित है0 वन भूमि व नाप भूमि का निरीक्षण किया गया एवं भूमि की स्थिति समस्त बाधक वृक्षो की गणना कर पेंट से क्रंमाक अंकित किये गये है। जिनकी सूची तैयार कर पृथक संलग्न की जा रही है। प्रास्तावित संमरेखण से वृक्ष सघन रूप से विद्यमान है एवं स्थल का घनत्व 0.1 से 0.2 के बीच है स्थल पर कृल वृक्षों का सारांश संलग्न है।

आरक्षित वन भूमि 0.963 तथा सिविल वन भूमि 8.158 है0 कुल 9.121 है0 के दुगने क्षेत्रफल 18.242 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए सिविल सोयम भूमि 18.242 में चयनित किया गया है।

जिसका क्षेत्रफल 18.242 है0 है। जिसकी दूरी प्रस्तावित स्थल से लगभग 01 किमी0 दूर पर है चयनित क्षेत्र का घनत्व शून्य है। प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु आपेक्षित भूमि न्यूनतम है। एवं प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण के संमरेखण हेतु अन्य कोई विकलप नहीं है प्रस्तावित क्षेत्र का इको क्लास ।।। है।

इस प्रकार प्रस्तावित मोटर मार्ग के लियें आपेक्षित वन भूमि, मसूरी वन प्रभाग की नियंत्रण की 0.963 है0 तथा सिविल वन भूमि 8.158 है0 के हस्तानतरण के पूर्व स्वीकृति एफ0सी0ए0 1980 के तहत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से ली जानी आवश्यक है।

क्षेत्र की ग्रामीणों को यातायात की सुविधा न होने के कारण उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में आम ग्राम सभा का प्रस्ताव, प्रस्तावित विभाग द्वारा सम्बन्धित से लिया जाना आवश्यक होगा।

प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात अथवा आदेश निर्गत किये जाने पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0बी0 तथा अन्य धनराशि जो भी उच्च स्तर से निर्धारित की जायेगी उसे प्रस्तावित विभाग जमा करेगा तथा अन्य शर्ते जो तय की जायेगी। प्रस्तावित विभाग उनका अनुपालन सुनिश्चित करेगाा तथा वन भूमि हस्तानारण की स्वीकृति प्राप्त होने पर निम्न शर्तो का अनुपालन का प्रस्तावित विभाग द्वारा करना होगा।

1. कार्य स्थल पर प्रस्तावित निर्माण कार्य भू–वैज्ञानिक की भूगर्भीय आख्या/अनुसंशाओं के अरूप कराना होगा तथा स्वीकृति के पश्चात समरेखण किसी भी दशा में मान्य नही होगा।
2. निर्माण कार्य के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं वन्य प्राणियों , वन सम्पदा को किसी भी प्रकार की क्षति नही पहुचायी जायेगी तथा वन जीवों के आवागमन में कोई अवरोद्ध उत्पन्न नहीं किया जायेगा।
3. निर्माण कार्य के दौरान कार्यगत् श्रमिकों द्वारा वन क्षेत्रों से कोई जलोनी लकडी प्रयोग नहीं की जायेगी और न ही वन क्षेत्र को किसी प्रकार की क्षति पहुचायी जायेगी।
4. भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार की स्वीकृति एवं तत्सम्बन्धी सभी शर्तो का पूर्णतयाः अनुपालन कराना होगा एवं शर्तो को अनुपालन करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा।
5. प्रस्तावित मोटर मार्ग की स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य के दौरान उत्पादित मलवा जंगल क्षेत्र में नहीं फेका जायेगा और न ही उत्पादित मलवे से वन क्षेत्र को कोई क्षति पहुचायी जायेगी।

अतः प्रस्तावक विभाग् द्वारा उत्पादित मलवे के उचित निस्तारण हेतु डिस्पोजल प्लान बनाना होगा।

(श्री बचन सिंह मल्याल)
अमीन अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 थत्यूड।

(श्री अमर सिंह)
अपर सहायक अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 थत्यूड।

(श्री महवीर सिंह चौहान)
राजस्व उपनिरीक्षक
खरसौन।

(श्री वख्तौरू)
वन वीट अधिकारी
कोडी वीट।

(श्री आनन्द सिंह कण्डारी)
वन दरोगा कोडी बीट।

(श्री राजेन्द्र सिंह रावत)
वन क्षेत्राधिकारी।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
थत्यूड (टिहरी गढवाल)

आधशासी अभेयन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
थत्यूड (टिहरी गढवाल

तहसीलदार
नैनबाग
टिहरी गढवाल

उपजिलाधिकारी
धनोल्टी